

संचालनालय पशुपालन
मध्यप्रदेश भोपाल

कामधेनु भवन, वैशाली नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक 13259/स्था-अ/2018/

भोपाल, दिनांक 04/09/2018

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-03-03/2018/पैतीस/भोपाल/ दिनांक 23.008.2018 की प्रति एवं अचल संपत्ति विवरण पत्र की छायाप्रति निम्नांकित की ओर पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि अपना अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31 दिसम्बर की स्थिति में विभागाध्यक्ष के माध्यम से अथवा सीधे शासन को प्रस्तुत कर निर्देशों का कटाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

- 1- उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग की ओर पत्र क्रमांक एफ-03-03/2018/पैतीस/भोपाल/ दिनांक 23.008.2018 के परिपेक्ष्य में।
- 2- समस्त संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवार्ये, संभाग.....म0प्र0।
- 3- समस्त उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवार्ये, जिला.....म0प्र0।
- 4- संबंधित अधिकारी....., संचालनालय, पशुपालन, म0प्र0 भोपाल।
- 5- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर शासन के उक्त पत्र एवं प्रपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. आर.के. रोकड़)

संचालक
पशुपालन म.प्र. भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462004

क्रमांक एफ-03/03/2018/पैंतीस भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 2018
प्रति,

संचालक
पशुपालन
मध्यप्रदेश, भोपाल



विषय- अचल सम्पत्ति विवरण संधारण बाबत।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1959 के नियम 18-3 में व्यवस्था है कि प्रत्येक शासकीय सेवक केलेण्डर वर्ष के समाप्ति पर अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण अपने नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का अचल संपत्ति विवरण विभागाध्यक्ष तथा प्रथम श्रेणी अधिकारियों का विवरण शासन स्तर पर संधारित किया जाएगा।

अधिकांशतः देखा गया है कि किसी भी प्रथम श्रेणी अधिकारी ने अपना अचल संपत्ति विवरण शासन को प्रस्तुत नहीं किया है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के विपरित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक या समकक्ष धारित पदों पर नियुक्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि अपना अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 दिसम्बर की स्थिति में विभाग को आपके माध्यम से अथवा सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं और विभाग द्वारा परीक्षणोपरांत व्यवसाईड पर अपलोड कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने का प्रपत्र आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार

31
27-8-18

✓
[Signature]

24 AUG 2018

[Signature]
27-8-18

[Signature]
23-8-18
(प्रकाश जांगर)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग

फार्म
***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा आर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, जहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अस्पष्टताओं पर टिप्पणी की जा सकती है।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पारदर्शी नियुक्ति के समय और उसके बाद शतके बाद शतके बारह महीने की अवधि के पर्यायतः यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व के समस्त जगहों पर उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम के समस्त जगहों पर उनके स्वामित्व के बारे में जानकारी दे दें।
 शाकेमुभा-2 अससराप्रवि-14-2-2001-5,000.
 नाम
 पद
 विभाग